

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभिमत पत्र



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल-462016

☎ : +91-755-2464428/2466191, ई-मेल : it_mppcb@rediffmail.com

वेबसाइट : www.mppcb.nic.in



कमांक 715

/तक./प्रनिबो/2026

भोपाल, दिनांक

07/07/2026

प्रति,

✓ आयुक्त,
संचालनालय,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- फिजियोथेरेपी क्लीनिक/केन्द्रों हेतु बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जैव-अपशिष्ट प्रबंधन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता बाबत।

संदर्भ:-
1. आपका पत्र क./विनियमन/2026/378 दिनांक 02/07/2026
2. बोर्ड का पत्र कमांक दिनांक 2207 दिनांक 23/09/2025



उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा फिजियोथेरेपी क्लीनिक/केन्द्रों हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जैव-अपशिष्ट प्रबंधन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता के संबंध में अभिमत चाहा गया है, जिसके संबंध में बोर्ड द्वारा संदर्भित पत्र कमांक 2 के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। पुनः लेख है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 2(1) अनुसार

"(1) These rules shall apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle bio medical waste in any form including hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, animal houses, pathological laboratories, blood banks, ayush hospitals, clinical establishments, research or educational institutions, health camps, medical or surgical camps, vaccination camps, blood donation camps, first aid rooms of schools, forensic laboratories and research labs."

फिजियोथेरेपी क्लीनिक/केन्द्र Clinical Establishments के अंतर्गत वर्गीकृत है। अतः फिजियोथेरेपी क्लीनिक/केन्द्र को संचालन हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश शासन